

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 जनवरी 2022—पौष 16, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-23-2021-1-पांच-(02).—राज्य सरकार, माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 21) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 से धारा 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-23-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-23-2021-1-पांच-(02), दिनांक 6 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6<sup>th</sup> January 2022

No. F-A-3-23-2021-1-V (02).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (21 of 2021), the State Government hereby appoints the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of sections 2, 3 and 7 to 15 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.